RRHO. 1323
28612

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2012

कार्यालय आदेश

विषय :- नगरीय निकायों में Dedicated Consultants की सेवायें लिये जाने के संबंध में दरों में संशोधन बाबत्।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(228)नविवि/3/10 दिनांक 21.09.2011 एवं 30.09.2011 द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यासों एवं नगरीय निकायों हेतु Dedicated Consultants से करवाये जाने वाले कार्यो बाबत दरों का निर्धारण किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 05.04.2012 को प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सम्पन समीक्षा बैठक एवं राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार, निम्नानुसार संशोधित आदेश प्रसारित किये जाते है।

OIC(web.)
A
28-6-12

निम्न कार्यो हेतु संशोधित दरों का निर्धारण किया जाता है (यह दरे भविष्य में जारी होने वाले कार्य आदेशों पर ही लागू होगी)।

आईटम नं.1: कृषि भूमि पर बसी अनाधिकृत कोलोनियों के नियमन संबंधी कार्यो हेतु दर।

- कोलोनियों के टोटल स्टेशन सर्वे एवं ले-आउट प्लान तैयार किये जाने के कार्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.10(228)नविवि/3/2010 दिनांक 22.07.2011 के बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार किया जावेगा तथा इस Item के तहत बिन्दु संख्या (a) से (f) के अतिरिक्त शेष कार्यो एवं भूखण्ड की पत्रावली तैयार किये जाने संबंधी कार्य हेतु निम्नानुसार दरों का निर्धारण किया जाता है।
  - साईट प्लान सहित समस्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पत्रावली तैयार करना – रू. 500.00 प्रति पत्रावली (समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु)
  - समस्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पत्रावली तैयार करना – रू. 400.00 प्रति पत्रावली (समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु)

आईटम नं.4: स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने संबंधी कार्यो हेतु दर।

- स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे दिये जाने संबंधित कार्य (सर्वे एवं ले-आउट प्लान आवश्यकता होने पर ही किया जावेगा)
  - प्रति पत्रावली – रू. 200.00
    (समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु)

आईटम नं.2: कच्ची बस्ती के नियमन संबंधी कार्य नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर पर करवाये जायेगें।

आईटम नं.3: अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत परियाजनाऐं तैयार करने का कार्य।

उक्त आईटम में पॉलिसी के मॉडल नं. 2 एवं 4 के तहत किये जाने वाले कार्यो हेतु पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा दरों का निर्धारण किया गया था।

कुछ नगरीय निकायों द्वारा Dedicated Consultants के माध्यम से मॉडल नं.2 एवं 4 के अतिरिक्त मॉडल नं.1 में भी कार्य करवाया जा रहा है। अतः नगरीय निकायों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित नगरीय निकाय Dedicated Consultants के माध्यम से मॉडल नं.1 के तहत भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाने का कार्य करवा सकेगे। मॉडल नं.1 हेतु Consultant को मॉडल नं.2 एवं 4 के अनुसार दर एवं प्रकिया के तहत भुगतान किया जा सकेगा। Dedicated Consultants द्वारा मॉडल नं.1 हेतु निम्न कार्य किये जायेगे।

अ. टोटल स्टेशन सर्वे।
ब. परियोजना का विस्तृत ले-आउट प्लान एवं आर्किटेक्चरल ड्राईंग/डिजाईन आदि संबंधित कार्य।
स. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित सम्पूर्ण कार्य।

मॉडल नं.4 हेतु Dedicated Consultants द्वारा निम्न कार्य किये जावेगे।

- टोटल स्टेशन सर्वे।
- परियोजना का प्रस्तावित ले-आउट प्लान एवं आर्किटेक्चरल ड्राईंग/डिजाईन।
- परियोजना की संक्षिप्त रिपोर्ट (अनुमानित लागत के आधार पर) (रू. 750.00 प्रति वर्गफीट निर्मित क्षेत्र के आधार पर परियोजना लागत अनुमानित की जावेगी)
- Pre-feasibility Report (भूमि की लागत एवं नगर पालिका/निकाय द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय के आधार पर)
- निविदा प्रक्रिया एवं विकासकर्ता के चयन में तकनीकी सहयोग।
- यदि विकासकर्ता का चयन हो जाता है तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जाने का कार्य किया जावेगा जिसकी समस्त लागत एवं पूर्व में किया गया भुगतान विकासकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा तथा समस्त भुगतान की जानी वाले राशि संबंधित विकासकर्ता द्वारा नगरीय निकाय के कोष में जमा करायी जायेगी एवं कन्सलटेन्ट को भुगतान इसी राशि से किया जावेगा।

मॉडल नं.2 हेतु समस्त भुगतान निजी विकासकर्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

उपरोक्त Items हेतु करवाये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण एवं भुगतान के विभिन्न चरण एवं प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी।

समस्त Items हेतु Dedicated Consultants द्वारा किये गये कार्यो का बिलों के प्रमाणीकरण पश्चात संबंधित नगरीय निकाय द्वारा बिल भुगतान हेतु RUIFDCO को प्रेषित किये जावेगें एवं तदानुसार बिल का भुगतान RUDF फन्ड से RUIFDCO द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त दरे एवं Dedicated Consultants का Panel दिनांक 30.03.2013 तक प्रभावी रहेगा।

नगरीय निकायों द्वारा उपरोक्त Items के अतिरिक्त अन्य कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 21.09.2011 एवं 30.09.2011 के अनुसार किये जावेगें।

22/6

निदेशक/शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

22/6/2012

शासन उप सचिव-तृतीय,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ दिनांक : 26 JUN 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)।
4. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य के समस्त निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करें।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
8. निदेशक (आयोजना), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक (प्रोजेक्टस), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
12. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ.ए, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
14. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
18. मुख्य अभियन्ता (मु0), नगरीय विकास विभाग, नगर विकास न्यास, कोटा।
19. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश एवं संलग्नक सूची को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

22/6

निदेशक/शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

22/6/2012

शासन उप सचिव-तृतीय,
नगरीय विकास विभाग